



क्रमांक / न.पा. / राजस्व / 2020 / 534.

पिपरिया दिनांक:- 07/10/2020

### विज्ञापित सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिका पिपरिया द्वारा निकाय स्वामित्व एवं अधिपत्य की जयप्रकाश कस्तुरबा शाला शापिंग काम्पलेक्स की 3 दुकानों 30 वर्षों के लिये (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत उपयोग कर अधिकार निर्धारित मासिक किराया एवं अधिकतम प्रीमियम राशि के आधार पर दिए जाने हेतु नगर पालिका पिपरिया द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के तहत बंद लिफाफे में (नीलाम बोली प्रस्ताव) ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। दुकानों का विवरण निम्नानुसार है।


क्र.	दुकान का साईज (मीटर में)	दुकान क्र	आरक्षण का प्रकार	न्यूनमत प्रीमियम (लाख में)	प्रतिभूति निक्षेप राशि 2.5 प्रतिशत (रूपये में)
1	21.81	6	सामान्य	15.70	40000
2	25.42	9	सामान्य	17.55	44000
3	28.49	16	सामान्य	19.45	49000

#### शर्त :-

01. दुकान की नीलामी निविदा पद्धति (2 लिफाफे) के माध्यम से की जावेगी। प्रथम लिफाफे में प्रतिभूति निक्षेप/अमानत राशि पावती रसीद (अमानत राशि केवल नगद एवं डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जावेगी। चेक स्वीकार नहीं किये जावेंगे) एवं आरक्षित दुकानों के लिये आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा (शपथ पत्र प्ररूप संलग्न है)। डिमांड ड्राफ्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी पिपरिया के नाम से देय होगा। द्वितीय लिफाफे में टेंडर फार्म रखना होगा। प्रथम लिफाफे में पात्र होने पर ही द्वितीय लिफाफे को खोला जावेगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र निविदाकार का ही होना आवश्यक है।
02. निविदा ऑफर की शर्तें, नक्शा, प्रतिभूति निक्षेप निधि, न्यूनतम निर्धारित प्रीमियम राशि आदि की जानकारी निविदा फार्म में दी गई है।
03. निविदा ऑफर फार्म रु. 2360/- (जी.एस.टी सहित) के शुल्क पर सूचना प्रकाशन से दिनांक 28.10.2020 शाम 05.30 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय नगर पालिका की राजस्व शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा ऑफर फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29.10.2020 समय दोपहर 03.00 बजे तक होगी। निर्धारित समय उपरांत निविदाये स्वीकार नहीं की जावेगी। सभी प्रस्तुत निविदायें दिनांक 29.10.2020 को ही समय शाम 04.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। नगर पालिका कार्यालय से क्रय किये गये निविदा फार्म पर ही ऑफर स्वीकार किये जावेंगे। रजिस्टर्ड डाक या कोरियर सर्विस द्वारा निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
04. निविदा की विस्तृत शर्तें राजस्व शाखा नगर पालिका कार्यालय में अवकाश के दिन को छोड़कर कार्यालयीन समय में कभी भी देखी व पढ़ी जा सकती है।
05. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 के सभी नियम शर्तें विधिमान्य होंगे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका पिपरिया  
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

01. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय भोपाल सूचनापटल पर चस्पा हेतु।
02. कार्यालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद के सूचनापटल पर चस्पा हेतु।
03. कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग, भोपाल के सूचनापटल पर चस्पा हेतु।
04. कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के सूचनापटल पर चस्पा हेतु।
- 535 05. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं प्रशासक नगर पालिका पिपरिया की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. कार्यालय तहसील पिपरिया के सूचनापटल पर चस्पा हेतु।
07. कार्यालय जनपद पंचायत, पिपरिया के सूचनापटल पर चस्पा हेतु।
08. संपादक .....के .....अंक में न्यूनतम लागत में प्रकाशन हेतु।
09. कार्यालय नगर पालिका परिषद होशंगाबाद /इटारसी/ सिवनी मालवा/ बाबई /सोहागपुर/ बनखेडी के सूचनापटल पर चस्पा हेतु।
10. श्री महेन्द्र लोवंशी (कम्प्यूटर आपरेटर ) की ओर विभाग की वेवसाईड पर अपलोड करने बाबत।

  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद पिपरिया  
नगर पालिका पिपरिया  
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)